# जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

कॉरपोरेट आइडेन्टीफिकेशन नम्बर (सीन)-यू40109आरजे2000एसजीसी016483
पंजीकृत कार्यालय : न्यू पॉवर हाउस,जोधपुर-342003
फोन न.: 0291-2748970 फैक्स न.: 0291-5106121
ईमेल:- secyadmn@gmail.com वेबसाईट:- www.jdvvnl.com


क्रमांकः- प्रनि/जोधपुर डिस्कॉम/अनु-सचिव(प्र)/पत्रा.सामान्य/प्रे०सं०....1823....

जोधपुर, दिनांक-...25-1-18...

## परिपत्र

विधुत अधिनियम, 2003 (2003 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 36) की धारा 180 की उप-धारा (2) के खण्ड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांकः प. 23 (3) ऊर्जा/ 2015 दिनांक 21.03.2016 के द्वारा "दुर्घटनाओं की सूचना (सूचना की तामील का प्ररूप और समय) नियम, 2016" लागू किये गये है, जो कि राजस्थान राजपत्र G.S.R. 164 में प्रकाशन तिथि दिनांक 21.03.2016 से प्रभावी हो चुके है । उक्त नियमों के नियम 3(1) के अनुसार "यदि कोई दुर्घटना विद्युत लाईनों के किसी भाग या किसी व्यक्ति के अन्य कार्यो के कारण या के सम्बन्ध में विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण, प्रदाय या उपयोग के सम्बन्ध में होती है और दुर्घटना का परिणाम या संभाव्य परिणाम मानव या पशु जीवन की हानि या मानव जीवन को या पशु को कोई क्षति होती है तो ऐसा व्यक्ति या उत्पादन करने/ पारेषण करने/ वितरण करने वाली कम्पनी का कोई प्राधिकृत व्यक्ति, जो सहायक अभियन्ता या इसके समकक्ष की पंक्ति से नीचे का न हो, घातक दुर्घटना के घटने की जानकारी होने के चौबीस घण्टे के भीतर ई-मेल/ फैक्स/ टेलीग्राफिक रिपोर्ट निरीक्षक को भेजेगा और घातक व समस्त अन्य दुर्घटनाओं के घटने की जानकारी के अड़तालीस घण्टे के भीतर इन नियमों से संलग्न प्ररूप परिशिष्ट-'1' (हिन्दी/अंग्रेजी) में रिपोर्ट भेजेगा ।

उक्त नियमों के नियम 3(2) के अनुसार दुर्घटना की सूचना के लिए, मुख्य विद्युत निरीक्षक, विद्युत निरीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस थाना, अग्निशमन दल और निकटतम अस्पताल के टेलीफोन नम्बर, ई-मेल आई.डी., फैक्स नम्बर और पते, उत्पादन केन्द्र, उपकेन्द्र संलग्न उपकेन्द्र/ स्वीचिंग केन्द्र में सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित किये जायेंगे और मध्यम वोल्टेज (म.वो.)/ उच्च वोल्टेज(उ.वो.)/ अतिरिक्त उच्च वोल्टेज (अ.उ.वो.) संस्थापनों के प्रभारी/ स्वामी के कार्यालय में भी सुरक्षित रखे जायेंगे।

निगम के ध्यान में यह आया है कि उपरोक्त नियमों की पालना नहीं की जा रही है जिसे विद्युत निरीक्षणालय, राजस्थान सरकार ने गंभीरता से लिया है एवं विद्युत निरीक्षक द्वारा की गई विद्युत दुर्घटनाओं की जाँच रिपोर्ट में "नियम 3(1) की पालना नहीं किये जाने" का भी उल्लेख किया गया है । **अतः सभी वृत्त अधीक्षण अभियन्ताओं को यह निर्देश दिये जाते है कि व अपने क्षेत्राधिकार में मानव या पशु जीवन की हानि या मानव जीवन को या पशु को कोई क्षति होने पर दुर्घटना की सूचना उपरोक्त नियमों में वर्णित प्ररूप नियम 3(1) के अनुसार परिशिष्ट-'1'**

लगातार.................2

**(हिन्दी/अंग्रेजी) में तुरन्त प्रभाव से भिजवाना सुनिश्चित करेंगे** । साथ ही नियम 3(2) की सूचना सम्बन्धित सम्भाग/ वृत्त/ कार्मिक अधिकारी/ खण्ड/ उपखण्ड/ उपकेन्द्र कार्यालयों में सुरक्षित रखी जाना भी सुनिश्चित करेंगे ।

ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक : एफ. 23 (3) ऊर्जा/ 2015 दिनांक 23.06.2016 के अनुसार **वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक/ विद्युत निरीक्षक/ सहायक विद्युत निरीक्षक का क्षेत्राधिकार आवंटित किया गया है, जिसका विवरण मय क्षेत्राधिकार, पता, दूरभाष नम्बर, ई–मेल आई.डी. परिशिष्ट–'2' में संलग्न है** । मानव या पशु जीवन की हानि या मानव जीवन को या पशु जीवन को कोई क्षति होने पर **दुर्घटना की सूचना सम्बन्धित सहायक अभियन्ता द्वारा निर्धारित प्ररूप परिशिष्ठ–'1' में विद्युत निरीक्षक के साथ निम्न अधिकारियों को आवश्यक रूप से निर्धारित समय सीमा में भेजी जावेगी :–**

**1– सचिव (प्रशासन)**
**2– सम्भागीय मुख्य अभियन्ता**
**3– प्रावैधिक सहायक–प्रबन्ध निदेशक**
**4– वृत्त अधीक्षण अभियन्ता**
**5– खण्ड अधिशाषी अभियन्ता**
**6– वृत्त कार्मिक अधिकारी**

**उपरोक्त निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जावे ।**

**(आरती डोगरा)**
**प्रबन्ध निदेशक**
**जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– मुख्य/अति./उप/सम्भागीय मुख्य अभियन्ता( ), जोधपुर डिस्कॉम,
2– कम्पनी सचिव, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
3– मुख्य लेखाधिकारी( ), जोधपुर डिस्कॉम,
4– अधीक्षण अभियन्ता( ), जोधपुर डिस्कॉम,
5– अधीक्षण अभियन्ता(आई.टी.), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर को निगम की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु ।
6– उप निदेशक कार्मिक(मुख्यालय/ ), जोधपुर डिस्कॉम,
7– अधिशाषी अभियन्ता( ), जोधपुर डिस्कॉम,
8– वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी( ), जोधपुर डिस्कॉम,
9– सहायक अभियन्ता( ), जोधपुर डिस्कॉम,
10– जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
11– निजी सहायक – अध्यक्ष डिस्कॉम्स/ प्रबन्ध निदेशक/ निदेशक (वित्त)/ निदेशक (तकनीकी), जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर/जोधपुर ।

**सचिव (प्रशासन)**
**जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर**

**P.R.Choudhary/****